दंड संहिता, 1860:एसएस।302/34 – शस्त्र अधिनियम, 1959 -धारा 27-हत्या-गोली लगने के बाद पांच लोगों ने सामूहिक रूप से मृतक को चाकू से घायल कर दिया-आरोपी पी ने मृतक पर गोली चलाई और अन्य ने चाकू से वार किया-दोषसिद्धि और सजा यू/एस। 302/34, और पी ने अतिरिक्त रूप से यू/एस चार्ज किया।27 दो अभियुक्तों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में, एक नाबालिग को छोड़कर, शस्त्र अधिनियम-जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था, ने अभिनिर्धारित किया:जहां तक अभियुक्त एल का संबंध है, सभी पहलुओं पर, अभियुक्त बहाना की याचिका को स्थापित करने के लिए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा-यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें उसे अवसर नहीं दिया गया था-इस प्रकार, निचली अदालतों ने बहाना की याचिका को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की और उसकी अपील में कोई योग्यता नहीं है-जहां तक साक्ष्य के संबंध में, अभियुक्त पी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन मामले पर संदेह करने के लिए चश्मदीद गवाहों की गवाही में कोई बड़ी विसंगतियां हैं-यह प्रस्तुत करना कि एफ़. आई. आर. समय से पहले है, समय और तिथियों के क्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, एफ़. आई. आर. को पूर्व-दिनांकित करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है-इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का आदेश यू/एस.157 Cr.P.C को पूरा नहीं किया गया-घटना की सूचना पर, फरदबेयान को तेजी से दर्ज किया गया, शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई और उसी के 25 मिनट के भीतर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई-शव को तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और अगली सुबह एफ़. आई. आर. अदालत में भेजी गई-यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई खामी थी-इसमें कोई संदेह नहीं था कि शव का पंचनामा रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक को लगी चोटों की संख्या को दर्ज करने में मामूली नहीं बल्कि बड़ा अंतर है, हालांकि, यह घातक नहीं होगा-शव का पंचनामा रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं है और इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या किसी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या हो सकता है-मृत्यु

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

121

122 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

– सूचना और पुलिस द्वारा उसके साथ आगे बढ़ने के बीच की अवधि की निकटता पोस्टमॉर्टम शुरू होने तक के चरण तक देखी जाती है-चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच कोई विसंगति नहीं थी-कोई कारण नहीं है कि चश्मदीद गवाह की कहानी, जो कि विश्वसनीय है, को पूरी तरह से विश्वास नहीं दिया जाना चाहिए-अभियोजन मामला साबित किया गया था और अभियुक्त द्वारा संदेह करने और उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए हकदार नहीं बनाया गया था।

बी.

विजय पाल बनाम राज्य **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार**) (2015)**

4 एससीसी 749:[2015] 3 एस. सी. आर. 394; जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 204:[2012] 4 एससीआर

408; सुदर्शन और एन**.** आर**.** वी**.**महाराष्ट्र राज्य **(2014)**

सी.

12 एससीसी 312:[2014] 6 एससीआर 437; मौला बक्स एंड ओआरएस. वी.राजस्थान राज्य (1983) 1 एससीसी 379; सुरेश रॉय बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 84:[2000] 2 एससीआर 796;

सुरजन और ओआरएस**.** वी**.**राजस्थान राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1956** एस**.** सी**. 425;** पेद्दा नारायण और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

डी.

(1975) 4 एससीसी 153:[1975] पूरक।एस. सी. आर. 84; नागेश

सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य। **(2017) 11** एससीसी **195:[2016] 7** एससीआर **713;** तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ

भारत (2018) 6 एससीसी 72:[2018] 9 एससीआर 1; प्रह्लाद सिंह और अन्य बनामएम. पी. राज्य (2011) 15 एस. सी. सी. 136:[2011] 9 एस. सी. आर. 282- संदर्भित।

ई.

मामला कानून संदर्भ

[2015] 3 एससीआर **394**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2012] 4 एससीआर **408**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2014] 6 एससीआर **437**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

(1983) 1 एस**.** सी**.** सी**. 379**

[2000] 2 एससीआर **796**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

आकाशवाणी **1956** एस**.** सी**. 425**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

जी.

[1975] पूरक।एससीआर **84**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[2016] 7 एससीआर **713**

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[2018] 9 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2011] 9 एससीआर **282**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34** ए

एच.

123

पापू तिवारी बनाम झारखंड राज्य ए

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की आपराधिक अपील संख्या 1492।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 398 में रांची में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.05.2012 से।

के साथ

बी.

2014 की आपराधिक अपील संख्या 1202-1203।

श्री प्रकाश सिन्हा, राकेश मिश्रा, सुश्री महुआ सिन्हा, नवलेंद्र कुमार, सिद्धार्थ सिंह, शेखर कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

तपेश कुमार सिंह, ए. ए. जी., आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य नारायण दास, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

शेषाद्री शेखर रे (न्याय मित्र)

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

डी.

पृष्ठभूमिः

1. 07.03.2000 पर लगभग 1 बजेः00 लगभग 22 वर्षीय पी. एम. विकास कुमार सिंह शारीरिक व्यायाम करने के लिए अपने घर से भंडार की ओर जा रहे थे।यह अभियोजन पक्ष का मामला है जो उनके छोटे भाई पंकज कुमार सिंह के फरदबेयान के आधार पर दर्ज किया गया था जो सदर अस्पताल, गढ़वा में 2 बजे दर्ज किया गया थाः00 शाम को जब विकास कुमार सिंह रामधर राम के घर के सामने पहुंचे तो अचानक सड़क पर बैठे छह लोगों ने उन्हें घेर लिया; जिनके नाम पप्पु तिवारी (सी. आर. एल. में अपीलार्थी) थे। ए. No.1492/2021), संजय राम, उदय पाल, अजय पाल, पिंटू तिवारी और लॉ तिवारी (सी. आर. एल. में अपीलार्थी। ए. No.1202-1203 2014)।पप्पु तिवारी ने अपनी पिस्तौल से विकास कुमार सिंह पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया और सड़क के किनारे गिर गया।अन्य अभियुक्तों पर आरोप है कि उनके पास चाकू थे और उन्होंने उस पर हमला किया और उसके पूरे शरीर पर चाकू से वार किए।हंगामा सुनकर पंकज कुमार सिंह उस दिशा में दौड़े।उक्त मुखबिर और अन्य ग्रामीणों को आते देख आरोपी व्यक्ति अहर के ऊपर बने रास्ते की ओर भाग गए।कहा जाता है कि उन्होंने मामले में कोई भी सबूत देने के खिलाफ उपस्थित लोगों को धमकी भी दी थी।बाद में, मुखबिर के अनुसार, उसने दावा किया कि उसे जानकारी मिली थी कि वे पिंटू तिवारी की एक मारुति वैन में भाग गए, जिसका पंजीकरण No.DL-2C-5177 था।फरदबेयान के आधार पर, एफ़. आई. आर. गढ़वा पी. एस. मामला

ई.

एफ.

जी.

एच.

2000 का आई. डी. 1 छह नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) और शस्त्र अधिनियम, 1959 (इसके बाद 'शस्त्र अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 272 और 34 के तहत दर्ज किया गया था।

2. सहायक उप-निरीक्षक (संक्षेप में 'ए. एस. आई.') रजनीकांत झा ने एक शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की, लेकिन आग की बांह की चोट की पहचान करने में विफल रहे।गढ़वा के उप-मंडल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेश प्रसाद सिंह द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और मौत का कारण महत्वपूर्ण और कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण बताया गया।एक और दो चोटों की पहचान हाथ की मजबूत चोटों के रूप में की गई थी।मारुति वैन को बाद में 09.03.2000 पर बरामद किया गया।हालांकि सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लॉ @उपेंद्र तिवारी को 16.03.2000 पर गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान पूरी होने पर, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सभी छह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसी तारीख को अपराध का संज्ञान लिया गया।यह मामला आई. डी. 1 पर सत्र न्यायाधीश की अदालत को सौंपा गया था, जहाँ सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था और पप्पु तिवारी पर अतिरिक्त रूप से शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप लगाया गया था।

बी.

सी.

डी.

3. सत्र मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की।27.05.2002 के फैसले के संदर्भ में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में दोषी ठहराया गया था और 28.05.2002 के आदेश के संदर्भ में, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।पप्पु तिवारी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी।

ई.

4. निचली अदालत के फैसले को दो अलग-अलग अपीलों द्वारा चुनौती दी गई थी।लॉ तिवारी और पिंटू तिवारी ने संयुक्त रूप से आपराधिक अपील No.242/2002 दायर की जबकि शेष चार दोषियों ने आपराधिक अपील No.398/2002 दायर की।झारखंड के उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के एक सामान्य फैसले के माध्यम से सभी छह दोषियों के खिलाफ निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि की।हालाँकि, किशोरावस्था के पहलू पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच के अनुसरण में, उच्च न्यायालय ने राय दी कि चूंकि पिंटू तिवारी घटना की तारीख को नाबालिग था और पहले से ही तीन साल से अधिक समय से जेल में था,

इसलिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15 और 16 के प्रावधानों को देखते हुए हिरासत का कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सका। जहां तक संजय राम और उदय पाल का संबंध है, दोनों ए

एफ.

जी.

एच.

125

पापू तिवारी बनाम झारखंड राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया।इसने तीन अपीलार्थीगण को छोड़ दिया, जिन्होंने इस मामले को आगे इस न्यायालय में उठाया।

5. पप्पु तिवारी ने समर्पण से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ एक विशेष अनुमति याचिका (संक्षिप्त 'एसएलपी' के लिए) दायर की।इस अदालत ने पप्पु तिवारी को आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए उस आवेदन को खारिज कर दिया था।एक प्रार्थना किए जाने पर, पप्पु तिवारी को आत्मसमर्पण करने के लिए 18.02.2013 पर चार सप्ताह का और विस्तार दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर एसएलपी को अदालत के संदर्भ के बिना खारिज कर दिया जाएगा।पप्पु तिवारी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और इस प्रकार, एसएलपी को दिनांकित 18.02.2013 के आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

6. लॉ @उपेंद्र तिवारी और अजय पाल ने संयुक्त रूप से देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ एक एसएलपी को प्राथमिकता देने का फैसला किया।अपीलें इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई जब अजय पाल (याचिकाकर्ता संख्या 2) की अपील को लॉ तिवारी द्वारा दायर अपील के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए खारिज कर दिया गया।07.05.2014 पर, उक्त अपील के लिए अनुमति दी गई थी जिसे आपराधिक अपील Nos.1202-1203/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

डी.

7. पप्पु तिवारी को आखिरकार 25.06.2015 पर गिरफ्तार कर लिया गया।इसके बाद, उन्होंने अपने एस. एल. पी. को बहाल करने और बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद, 862 दिनों की देरी को उचित रूप से समझाने में विफलता के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया।पप्पु

तिवारी ने 22.01.2021 पर जमानत की मांग करने वाले आवेदन के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की।समीक्षा याचिका पर विचार किया गया और 27.01.2021 पर अनुमति दी गई।इसके बाद अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

ई.

8. इस बीच, लॉ तिवारी को अपनी सजा पूरी करने के बाद 28.09.2016 पर रिहा कर दिया गया और इस प्रकार, 01.09.2021 पर यह पूछा गया कि क्या वह अभी भी उस अपील पर मुकदमा चलाने में रुचि रखते हैं, जिसका जवाब सकारात्मक था क्योंकि लॉ तिवारी अपनी दोषसिद्धि के पहलू पर बहस करना चाहते थे।

एफ.

9. जहाँ तक पप्पु तिवारी का संबंध है, उनकी जमानत याचिका को 04.10.2021 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस निर्देश के साथ कि अपील को ही सुनवाई के लिए लिया जाए।उक्त एसएलपी में 23.11.2021 पर भी अनुमति दी गई थी।

जी.

10. उपरोक्त वह पृष्ठभूमि है जिस पर इन दोनों अपीलों को सुनवाई के लिए हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया था।

एच.

Crl.A. Nos.1202-1203/2014 (कानून द्वारा अपील **@**उपेंद्र तिवारी**):**

11. जहाँ तक लॉ तिवारी का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता से एक प्रश्न पूछा गया कि उनके (लॉ तिवारी) और अजय पाल द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई अपील और अजय पाल की अपील खारिज किए जाने पर, सबूत समान होने के कारण, भूमिका समान होने के कारण, अर्थात, पांच लोग सामूहिक रूप से मृतक को गोली मारने के बाद चाकू से घायल कर रहे हैं, बचाव क्या हो सकता है, जो लॉ तिवारी को उपलब्ध होगा।12. विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उनकी अपील एक सीमित दायरे में है और इस न्यायालय ने भी उनकी बहाना याचिका पर अपील को स्वीकार कर लिया।13. विद्वान अधिवक्ता ने निचली अदालत के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उनके अनुसार विशेष पहलू पर अपीलीय अदालत के फैसले में शायद ही कोई चर्चा हुई थी।निचली अदालत ने बचाव पक्ष के दो गवाहों, राजेंद्र यादव (डी. डब्ल्यू. -1) और समसुद्दीन अंसारी (डी. डब्ल्यू.-2)।डी. डब्ल्यू.-1 ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा कि 24.01.2000 पर उन्होंने लॉ @उपेंद्र तिवारी के दाहिने घुटने का एक्स-रे किया था।उन्होंने नकद ज्ञापन (उदा. ए) और कहा कि उन्होंने डॉ. एम. पी. सिंह की सलाह पर घुटने का एक्स-रे किया था।डी. डब्ल्यू.-2 ने कहा

कि वह लॉ @उपेंद्र तिवारी को जानता था और <आई. डी. 1 पर वह सिलिया डोंगर से बस से गढ़वा आया था।उन्होंने लॉ तिवारी को मोटरसाइकिल से गिरने के बाद देखा जो दर्द से जूझ रहे थे।उसने एक और आदमी को उसे पकड़े हुए देखा।एक रिक्शा बुलाया गया और लॉ तिवारी को रिक्शा पर बिठाया गया और डॉ. एम. पी. सिंह के पास गढ़वा अस्पताल लाया गया, जिन्होंने एक्स-रे की सलाह दी।एक्स-रे जनता क्लिनिक में किया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उनका पैर घुटने के पास टूट गया था।जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने लॉ तिवारी की मदद की, उसकी पहचान कंचन यादव के रूप में हुई।लॉ तिवारी को सौंपने के बाद डीडब्ल्यू-2 चला गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. बचाव पक्ष की प्रार्थना पर अदालत के गवाहों के रूप में दो गवाहों से भी पूछताछ की गई-अलमुद्दीन खान (सी. डब्ल्यू.-1), जिन्होंने डॉ. एम. पी. सिंह (एक्स. ए) और दवा की प्राप्ति (उदा. ए/1) के साथ-साथ अक्षय कुमार महतो (सीडब्ल्यू-2) जिन्होंने कहा कि वह लॉ तिवारी को जानते थे, कि लॉ तिवारी गढ़वा में विपणन के लिए आए थे, और अस्पताल में अपने चचेरे भाई मोहन प्रसाद महतो के बीमार बेटे को देखने गए थे।उन्होंने इलाज के गवाह होने का दावा किया और कहा कि लॉ @उपेंद्र तिवारी अपने पैर को प्लास्टर करके बिस्तर पर थे, हालांकि उन्होंने उनसे बात नहीं की थी।उक्त गवाही को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत के समक्ष जो तर्क दिया गया था, जैसा कि हमारे सामने भी दर्ज किया गया था, वह यह था कि घटना की तारीख को उनका पैर टूट गया था, इसलिए लॉ तिवारी ए के लिए यह संभव नहीं था

जी.

एच.

अपराध में भाग लिया और उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया।निचली अदालत ने कहा कि न तो एक्स-रे प्लेट और न ही डॉ. एम. पी. सिंह की सलाह अदालत में पेश की गई थी।बचाव पक्ष द्वारा डॉक्टर को भी पेश नहीं किया गया था।गढ़वा अस्पताल में उनके टूटे हुए

पैर के भर्ती या उपचार के मामले के समर्थन में भर्ती या उपचार के कोई कागजात पेश नहीं किए गए हैं और प्रमाण पत्र इस तरह के मामले का समर्थन नहीं करता है।

बी.

15. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला था और है कि अन्य बातों के साथ-साथ फरदबेयान के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364,365 और 120 बी के तहत पीएस मामले में एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की तारीख 26.01.2000 थी और आरोप उस मामले में हत्या के उद्देश्य से अपहरण का था।उस मामले में भी लॉ तिवारी को आरोपी बनाया गया था।घटना 26.01.2000 की थी और बचाव यह है कि लॉ तिवारी का पैर 24.01.2000 पर टूट गया था।लॉ तिवारी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया था।हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि उस दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, लॉ तिवारी को 17.12.2005 पर बरी कर दिया गया था।

सी.

डी.

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि तीन चश्मदीद गवाह हैं, पंकज कुमार सिंह (पीडब्लू-6), सुबोध कुमार सिंह (पीडब्लू-13) और चंद्रमन सिंह (पीडब्लू-18) और उनकी गवाही व्यापक रूप से सुसंगत रही है, जो लॉ तिवारी को भूमिका सौंपती है।आई. डी. 1 पर उसे पकड़ने का प्रयास सफल नहीं रहा क्योंकि आई. ओ. ने छह अलग-अलग मौकों पर उसे फरार पाया था जब उसके परिसर का दौरा किया गया था।बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 04.04.2000 पर रिमांड पर लिया गया।राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि न तो डॉ. एम. पी. सिंह की सलाह और न ही एक्स-रे पेश किया गया था, और न ही डॉ. एम. पी. सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था और न ही तलब किया गया था, अस्पताल में लॉ तिवारी के प्रवेश और उपचार का सबूत देने वाला एक भी कागज नहीं था जिसे उनकी बहाना याचिका के समर्थन में पेश किया जा सके।उन्होंने फरदबेयन की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि लॉ तिवारी और अन्य अभियुक्तों ने एक मामले के संबंध में मराल जाने के लिए मृतक की मोटरसाइकिल की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि हिरासत के दौरान भी लॉ तिवारी का आचरण उचित नहीं था क्योंकि उन्होंने सूचना देने वाले को धमकी दी थी और सूचना देने वाले को 13.06.2001 पर गोली लगने से हाथ में चोट लगी थी।नतीजतन, गढ़वा पुलिस स्टेशन में मामला No.107/2001 दर्ज किया गया।अंत में यह दावा किया गया था

ई.

एफ.

जी.

एच.

यह कि अपीलार्थी की भूमिका को अजय पाल की भूमिका से अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और अजय पाल की अपील को खारिज कर दिया गया था, केवल एक पहलू जिसकी जांच की जानी थी, वह यह था कि क्या नीचे दी गई दोनों अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करने के लिए इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी, जब अपीलार्थी पर बोझ भारी था क्योंकि जब ऐसी याचिका उठाई जाती है तो अभियुक्त को उस बोझ का निर्वहन करना चाहिए।हम विजय पाल बनाम राज्य में इस संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं।

बी.

(दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार**) 1** जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"27. हमारी सुविचारित राय में, जब निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने बहाना की याचिका पर विश्वास नहीं किया है, जो तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है, तो उसे हटाने का कोई वारंट नहीं है।बहाना की दलील को साबित करने के लिए आरोपी द्वारा जो सबूत पेश किया गया है, वह अस्पष्ट है और वास्तव में दुश्मन तर्क के लिए खड़े नहीं होते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने पूर्ण निश्चितता के साथ साबित किया हो ताकि घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति की संभावना को खारिज किया जा सके।अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस गुणवत्ता का नहीं है कि न्यायालय एक उचित संदेह को स्वीकार करे। अभियुक्त पर बोझ काफी भारी है और उसे निश्चितता के साथ बहाना की दलील को स्थापित करने की आवश्यकता होती है।"

सी.

डी.

जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य **2** में इस न्यायालय ने कहा किः

"71. ....प्रत्यक्षीकरण की याचिका को स्थापित करने का भार अपीलार्थीगण पर था और अपीलार्थी ऐसा कोई साक्ष्य दर्ज करने में विफल रहे हैं जो उचित संभावना से भी उनके प्रत्यक्षीकरण की याचिका को स्थापित कर सके।वास्तव में बहाना की याचिका को निश्चित

रूप से साबित करने की आवश्यकता है ताकि घटना के स्थान पर और उस घर में आरोपी की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सके जो उनके रिश्तेदारों का घर था।"

ई.

एफ.

17. हमने लॉ तिवारी की अपील के सीमित दायरे पर अपना विचार दिया है और हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सही बताया गया है कि बहाना (विजय पाल 3 और जितेंद्र कुमार 4) की याचिका को स्थापित करने का बोझ लॉ तिवारी पर था, जिसे वह पूरा करने में विफल रहे।यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें उन्हें मौका नहीं दिया गया हो।दरअसल, दो गवाहों को पेश किया गया था

जी.

1 (2015) 4 एससीसी 749 2 (2012) 6 एससीसी 204 3 (ऊपर)

4 (ऊपर)

एच.

ए.

बचाव में लॉ तिवारी और अदालत के दो गवाहों को भी तलब किया गया था।हालांकि, प्रासंगिक सबूत सामने नहीं आए।

18. यह सही बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण गवाह डॉ. एम. पी. सिंह होंगे, जिन्हें बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था और न ही तलब किया गया था।

बी.

19. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि निचली अदालत के फैसले में कुछ पहचान को लेकर भ्रम है क्योंकि एक डॉ. एम. पी. सिंह (पीडब्लू-1) का संदर्भ दिया गया है, जो वही डॉक्टर नहीं है।डॉ. एम. पी. सिंह द्वारा दी गई सलाह भी साबित नहीं हुई और न ही एक्स-रे प्लेट का उत्पादन किया गया।डी. डब्ल्यू.-2 ने कहा कि वह लॉ तिवारी को गढ़वा अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में पैर टूटने के इलाज के समर्थन में अस्पताल में भर्ती या उपचार के कोई कागजात पेश नहीं किए गए।इस प्रकार, इन सभी पहलुओं पर लॉ तिवारी बहाना की याचिका को स्थापित करने के लिए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे और इस प्रकार,

निचली अदालत और उच्च न्यायालय को बहाना की याचिका को अस्वीकार करने में किसी भी त्रुटि में नहीं कहा जा सकता है।यह एकमात्र पहलू था जिसकी हमारे द्वारा जांच की जानी थी।

सी.

डी.

20. हम ध्यान दे सकते हैं कि निचली अदालत के फैसले में लॉ तिवारी के खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले और उक्त मामले में उनकी दोषसिद्धि के पहलू पर चर्चा की गई है।यह घटना उनके कथित फ्रैक्चर के समकालीन थी और इस प्रकार, फ्रैक्चर पर आधारित याचिका अस्थिर पाई गई क्योंकि लॉ तिवारी को उक्त मामले में दोषी ठहराया गया था।हालाँकि, उन्होंने अपील में बरी करने का आदेश दायर किया है।यही कारण है कि हमने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए यह पहलू महत्वपूर्ण नहीं है।

ई.

21. उपरोक्त का परिणाम यह है कि हम लॉ @उपेंद्र तिवारी की आपराधिक अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

एफ.

Crl.A. No.1492/2021 (पप्पु तिवारी की अपील):

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न दलीलें उठाने की मांग की कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा।यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वास्तव में कहा जाना आवश्यक है और आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए उस सिद्धांत पर निर्माण करने की कोशिश की कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी में एक उचित संदेह पैदा किया जा सकता है, तो अपीलार्थी को सफल होना चाहिए।

जी.

23. उपरोक्त के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने चश्मदीद गवाहों की गवाही का उल्लेख करने की मांग की।पंकज कुमार सिंह, सूचना देने वाले

एच.

मृतक का भाई है जिसकी जांच पीडब्लू-6 के रूप में की गई थी।फ़र्दबेयान में उन्होंने किसी भी गवाह का नाम नहीं लिया था, हालाँकि उन्होंने उन्हें "कई गवाहों" के रूप में संदर्भित किया था।यह कहा गया था कि चश्मदीद गवाहों की गवाही में विरोधाभास था।उन्होंने आगे कहा कि पीडब्लू-13 एक संयोग गवाह था और उस स्थान पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध थी क्योंकि वह घटना से केवल दस दिन पहले मैट्रिक परीक्षा में बैठने के लिए उस क्षेत्र में आया था और किसी को भी नहीं जानता था।

बी.

24. हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि साक्ष्य के अवलोकन पर यह नहीं कहा जा सकता है कि चश्मदीद गवाहों की गवाही में कोई बड़ी विसंगतियाँ हैं जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करती हैं।तीन चश्मदीद गवाह हैं।सूचना देने वाले, पीडब्लू-6 की गवाही को केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक करीबी रिश्तेदार की गवाही है।इसी तरह, पीडब्लू-13, हालांकि एक संयोग गवाह था, ने अपनी उपस्थिति के बारे में बताया और कहा कि वह अभियुक्त की पहचान कर सकता है, जो क्षेत्र में जाने जाते थे, भले ही नकारात्मक अर्थों में।हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ तक तीसरे चश्मदीद गवाह, पीडब्लू-18 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इस गवाह की जाँच में दो महीने से अधिक की देरी के कारण उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया है, जिसने एक चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था और मृतक का मामा था।

सी.

डी.

25. विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से यह तर्क देने की कोशिश की कि एफ़. आई. आर. समय से पहले की गई थी और यह कहानी पर संदेह पैदा करेगी।एफ. आई. आर. दोपहर में 07.03.2000 पर दर्ज की गई थी, लेकिन अगली तारीख को 08.03.2000 पर अदालत में पहुंची, तब भी जब अदालत और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी मुश्किल से एक किलोमीटर थी।

ई.

26. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 07.03.2000 पर 1300 बजे हुई, 1343 बजे अस्पताल से टेलीफोन कॉल आया कि घायल अस्पताल आए थे और फरदबेयान की रिकॉर्डिंग का समय 1400 घंटे है।1410 बजे शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई और 1425 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।शव को 1445 बजे पोस्टमार्टम के लिए प्राप्त किया गया और साथ ही आई. ओ. घटना स्थल पर पहुंचे।1550 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ।आई. ओ. आधी रात को घर लौटा और कई बार आरोपी के घर गया था।इस प्रकार, एफ़. आई. आर. 08.03.2000 पर अदालत में पहुंची।समय और तिथियों के इन अनुक्रमों

को यह दिखाने के लिए इंगित किया गया था कि एफ़. आई. आर. की पूर्व तिथि निर्धारित करने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है।

एफ.

जी.

एच.

131

पापू तिवारी बनाम झारखंड राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

ए.

27. हम सुदर्शन और अन्न बनाम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संदर्भ में इस पहलू की जांच कर सकते हैं।महाराष्ट्र राज्य 5.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए प्रासंगिक पैराग्राफ से पता चलता है कि उक्त मामले में एफ़. आई. आर. का कॉलम 15 अदालत को भेजे जाने की तारीख और समय से संबंधित था जिसे खाली छोड़ दिया गया था।आई. ओ. यह साबित नहीं कर सका कि एफ. आई. आर. कब और कैसे अदालत में भेजी गई थी।निर्णय में ऐसा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एफ. आई. आर. में सच्चा संस्करण दर्ज किया जाए और इसमें कोई हेरफेर या अंतर्वेशन न हो।यही कारण है कि यह वैधानिक आवश्यकता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'Cr.P.C' के रूप में संदर्भित) की धारा 157 के तहत प्रदान की गई है।एफ़. आई. आर. को लेकर गंभीर संदेह था।

बी.

सी.

28. ऊपर बताए गए सिद्धांतों की कसौटी पर यह शायद ही कहा जा सकता है कि धारा 157 Cr.P.C के तहत कानून के अधिदेश को पूरा नहीं किया गया है।घटना की सूचना पर, फरदबेयान को तेजी से दर्ज किया गया, शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई और उसी के 25 मिनट के भीतर प्राथमिकी दर्ज की गई।शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अगली सुबह एफ़. आई. आर. अदालत में भेज दी गई।हम यह नहीं कह सकते कि ऐसी कोई खामी है जिसका उपयोग किया जा सकता था या कि एफ. आई. आर. पूर्व समय पर की गई थी और इस प्रकार, मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. भेजने की आवश्यकता के उद्देश्य का पालन किया गया है।अतः इस याचिका में कोई सार नहीं है।

डी.

ई.

29. अब अगली याचिका की ओर रुख करते हुए, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहुत जोर दिया गया था, यह आग्रह किया गया था कि शव का पंचनामा रिपोर्ट (Ex. 3) और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ex. 1) के बीच एक बड़ी विसंगति थी।इस पहलू को वास्तव में एफ़. आई. आर. के समय से पहले की याचिका से जोड़ने की कोशिश की गई थी।संस्करण में मतभेद बताए गए हैं जो इंगित करते हैं कि फरदबेयान को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही दर्ज किया गया था।इसके लिए तथ्यात्मक आधार यह बताया गया है कि शव का पंचनामा रिपोर्ट में छह चोटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गोली की चोट का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली की चोट सहित 26 चोटें हैं।उसके पास से न तो पिस्तौल बरामद हुई और न ही कोई गोला-बारूद मिला और ए. एस. आई. रजनीकांत झा, जिन्होंने फरदबेयान के साथ-साथ शव का पंचनामा रिपोर्ट भी दर्ज की थी, की अभियोजन पक्ष द्वारा शव का पंचनामा नहीं की गई।इस पहलू पर विद्वान अधिवक्ता ने टिप्पणियों पर भरोसा किया

एफ.

जी.

मौला बक्स एंड ओआरएस. वी.राजस्थान राज्य 6.

5 (2014) 12 एस. सी. सी. 312 6 (1983) 1 एस. सी. सी. 379

एच.

30. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने की मांग की कि शव का पंचनामा रिपोर्ट को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग शव का पंचनामा के गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है (सुरेश रॉय बनाम बिहार राज्य 7)।उन्होंने प्रस्तुत किया कि शव का पंचनामा रिपोर्ट वास्तव में अपने आप में एक सबूत नहीं है और इसे चिकित्सा के साक्ष्य के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।

अदालत में गवाह **(**सुरजन और ओआरएस**.** बनाम**.**राजस्थान राज्य **8)**।सीखा है।

बी.

अधिवक्ता ने पेड्डा नारायण और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 9 में टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया है कि धारा 174 के तहत कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या अप्राकृतिक

मृत्यु और यदि ऐसा है तो मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है।हालाँकि, मृतक पर हमला कैसे किया गया या उस पर हमला किसने किया, इसका विवरण Cr.P.C की धारा 174 के तहत कार्यवाही के दायरे के लिए विदेशी होगा, और न ही शव का पंचनामा रिपोर्ट में इस तरह के विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता है (योगेश सिंह बनाम.

सी.

महाबीर सिंह और अन्य। **10)**।

31. विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद हाल के फैसले की ओर रुख किया

इस न्यायालय ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ **11** में यह मत व्यक्त किया कि

डी.

शव का पंचनामा आयोजित करने का उद्देश्य सीमित है और शव का पंचनामा रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं बनाती है।शव का पंचनामा रिपोर्ट की तुलना में, जो डॉक्टर पोस्टमॉर्टम परीक्षा करता है, वह चिकित्सा-कानूनी दृष्टिकोण से शरीर की शव का पंचनामा करता है।इस प्रकार, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है जिसमें वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से चोटों का विवरण होने की उम्मीद है।उस संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौला बक्स और ओआरएस। 12 मामले ने अपीलार्थी की मदद नहीं की क्योंकि एक पुलिस अधिकारी जिसने शव का पंचनामा पंचनामा तैयार किया था, वह चिकित्सा न्यायशास्त्र में विशेषज्ञ नहीं है।

ई.

32. उपरोक्त दलीलों की जांच करने पर, जहां तक तथ्यात्मक संदर्भ का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शव का पंचनामा रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक को लगी चोटों की संख्या को दर्ज करने में मामूली लेकिन बड़ा अंतर है।हालाँकि, हमारे विचार में यह घातक नहीं होगा।हम एक शव का पंचनामा रिपोर्ट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहते हैं, जो एक ठोस सबूत नहीं है।इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या एक व्यक्ति जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या हो सकता है।में

एफ.

जी.

7 (2000) 4 एससीसी 84 8 एआईआर 1956 एससी 425 9 (1975) 4 एससीसी 153 10 (2017) 11 एससीसी 195 11 (2018) 6 एससीसी 72 12 (ऊपर)

एच.

ए.

वर्तमान मामले में मृत्यु अप्राकृतिक थी।घाव हो गए थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हत्या का मामला है।विशेषज्ञ वह चिकित्सक होता है जो पोस्टमॉर्टम करता है और चिकित्सकीय कानूनी विशेषज्ञ रहा है।आग लगने से हाथ में लगी दो चोटों की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है और प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर घावों की पहचान की जा रही है।हम पहले ही सूचना और पुलिस के बीच की समय अवधि की निकटता पर चर्चा कर चुके हैं जो पोस्टमार्टम शुरू होने तक ठीक उसी स्तर तक आगे बढ़ रही है।हम इस याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं।

बी.

33. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस तीसरे पहलू पर जोर दिया गया, वह था चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच कथित विसंगति।पीडब्लू-1 ने मृतक का पोस्टमार्टम करने पर 26 चोटों का पता लगाया।विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिस दूरी से आग्नेयास्त्र का उपयोग किया गया था, उसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। विद्वान अधिवक्ता यह भी बताते हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पप्पु तिवारी द्वारा हाथ में गोली लगने के बाद मृतक नीचे गिर गया और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उस पर चाकू से हमला किया।मृतक के पीछे कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है।अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, गवाह लगभग 1 बजे जिम की ओर जा रहा था:00 लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पेट खाली था और मलाशय और मूत्राशय भरा हुआ था जिससे पता चलता है कि व्यक्ति ने खुद को आराम नहीं दिया था और नाश्ता भी नहीं किया था।यह स्थिति सुबह के समय होनी चाहिए न कि दिन के समय।34. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-1 की गवाही का भी उल्लेख किया।किस फायर आर्म का उपयोग किया गया था, क्या चोटें गोली या गोली से लगी थीं और जिस दूरी से फायर आर्म का उपयोग किया गया था, इस तरह के मुद्दों पर यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां हथियार और गोला-बारूद अनिश्चित बनावट और गुणवत्ता का है, मानक हथियार और गोला-बारूद पर आधारित सामान्य पेलेट पैटर्न को सटीकता के साथ लागू नहीं किया जा सकता है (प्रह्लाद सिंह)

सी.

डी.

ई.

एफ.

& ओआरएस**.** वी**.**एम**.** पी**. 13** का राज्य**)**।

35. इस याचिका पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि वास्तव में चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा डॉक्टर पर उस

दूरी के बारे में राय नहीं देने की कोशिश की जाती है जिससे आग की बांह की चोट लगी थी। इसके अलावा, चश्मदीद गवाह स्पष्ट हैं कि अन्य अभियुक्तों ने मृतक पर चाकू से हमला किया। पाँच व्यक्तियों द्वारा मृतक पर हमला करने की ऐसी प्रक्रिया में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक अंदर पड़ा होगा।

जी.

13 (2011) 15 एससीसी 136-पैरा 9

एच.

एक ही स्थिति और, इस प्रकार, पीछे और सामने दोनों जगह चोट लगने की पूरी संभावना है। घटना की प्रकृति और चश्मदीद गवाहों की गवाही में, कहानी पर संदेह किया जाना चाहिए, न कि केवल भोजन के सेवन के कुछ पहलू को इंगित किया जाना चाहिए।हम वास्तव में ऐसी कोई कमजोरी नहीं देख सकते हैं जो हमें नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उलटने का कारण बने।

बी.

36. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की शेष दलीलें दोषपूर्ण अनुसंधान के अनुरोध, स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति पर आधारित हैं, लेकिन फिर कोई कारण नहीं है कि चश्मदीद गवाह की कहानी, जो कि विश्वसनीय है, को पूरा विश्वास क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए जो परीक्षण लागू किया जाता है, उसका मतलब यह नहीं है कि प्रयास बरी करने और किसी तरह से बरी होने का कोई बहाना खोजने का होना चाहिए।

सी.

37. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया अंतिम पहलू यह था कि आई. ओ. ने अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के पूर्ववृत्त का उल्लेख किया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53 के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत गलती से ध्यान में रखा गया है।उक्त प्रावधान में कहा गया है कि पिछला बुरा चरित्र जवाब के अलावा प्रासंगिक नहीं है, यानी जब तक कि किसी अच्छे चरित्र का सबूत नहीं दिया गया है, उस मामले में यह प्रासंगिक हो जाता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में जो हुआ है वह यह है कि आई. ओ. की गवाही का हिस्सा कि आरोपी व्यक्ति खतरनाक थे, किसी भी सबूत के नेतृत्व से

समर्थित नहीं था और न ही इसे नीचे की अदालतों के साथ तौला गया है।पीडब्लू-13 अपीलार्थीगण की पहचान करने में सक्षम था क्योंकि वे सड़क से गुजरते थे और कहा जाता है कि उन्हें "क्षेत्र के मालिक" के रूप में जाना जाता था।इस प्रकार, हमारा विचार है कि सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निचली अदालत और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर कोई संदेह नहीं कर पाए हैं।

डी.

ई.

एफ.

निष्कर्षः

38. उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी साबित की गई है और अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा इसे बाधित नहीं किया गया है ताकि संदेह पैदा किया जा सके और उन्हें संदेह का लाभ दिया जा सके।परिणाम यह है कि दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ता है।

जी.

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

एच.